



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 352 राँची, बुधवार, 17 आषाढ़, 1948 (श०)
8 जुलाई, 2026 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

तारीख: 06 जुलाई, 2026/15 आषाढ़, 1948(शक)

429/पूर्व-अनु0-1/झार0/2023(2) :-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित व समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 04 अगस्त 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु0-1/झार0/2023(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) के सामने, स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी -

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमांक एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
(1)	(2)
05-पाकुड़	7. कार्यपालक दण्डाधिकारी, (अनुमंडल पाकुड़)
58-तमाड़ (अ.ज.जा.)	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़
61-सिल्ली	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली
62-खिजरी (अ.ज.जा.)	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ओरमांड़ी
63-रांची	9. आवासीय दण्डाधिकारी, हटिया, रांची
64-हटिया	9. अंचल अधिकारी, रातू

उपरोक्त अधिकारियों की यह नियुक्ति विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

(तनुज कुमारी)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुबोध कुमार)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

Dated: 6th July, 2026/ 15 Ashadha, 1948(Saka)

No. 429/ES-1/JKD/2023(2): In exercise of the powers conferred by sub-Section(1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 429/ES-1/JKD/2023(2) dated 4th August 2023, relating to appointment of Assistant Electoral Registration Officers in the state of Jharkhand, namely:-

In column (2) of the Table appended to the said notification, the existing entries against each of the Assembly Constituencies shown in the column (1), the following entries shall be added:-

TABLE

NUMBER AND NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY	ASSISTANT ELECTORAL REGISTRATION OFFICER
(1)	(2)
05-Pakaur	7. Executive Magistrate, (Pakur Sub-Division)
58-Tamar (ST)	5. Block Development Officer, Tamar
61-Silli	5. Block Development Officer, Silli
62-Khijri (ST)	5. Block Development Officer, Ormanjhi
63-Ranchi	9. Residential magistrate, Hatia, Ranchi
64-Hatia	9. Circle Officer, Ratu

The appointment of the above officers will cease to be effective after the completion of Special Intensive Revision 2026.

By Order

(TANUJ KUMARI)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA